

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in

क्रमांक / 113 / प्रयास / 2020-21 / **371**

E mail - ctd.cg@nic.in

अटल नगर, रायपुर दिनांक **18/05/2021**

—:संक्षिप्त विज्ञप्ति सूचना:—

फाउण्डेशन प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से “रूचि की अभिव्यक्ति” का आमंत्रण वर्ष 2021-22

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (यथा संशोधित वर्ष 2017) अंतर्गत फाउण्डेशन प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 09वीं एवं 10वीं के शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की परीक्षाओं यथा जेईई (मेंस/एडवांस), एम्स, नीट तथा पीईटी जैसी आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराए जाने की योजना है।

इसके अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के लिए संस्थावार पृथक-पृथक “रूचि की अभिव्यक्ति” प्रस्ताव आमंत्रित है :-

क	फाउण्डेशन प्रयास विद्यालय का नाम	वर्ष	कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या (परिवर्तनीय)	प्रस्ताव जहां जमा करना है उस कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	फाउण्डेशन प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड़डू रायपुर	2021-22 2021-22 2022-23	9वीं 10वीं 10वीं	125 125 125	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर
2.	फाउण्डेशन प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी रायपुर	2021-22 2021-22 2022-23	9वीं 10वीं 10वीं	125 125 125	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर

1. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि
2. ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना
3. पात्र पाई गई संस्थाओं का समिति के समक्ष तकनीकी मूल्यांकन

- 14/06/2021, अपराह्न 3.00 बजे
- 15/06/2021, अपराह्न 3.00 बजे
- पृथक से घोषित किया जायेगा

अन्य कार्यवाही एवं तिथियों में परिवर्तन की सूचना संबंधित प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा पृथक से ऑनलाईन दी जायेगी। विस्तृत जानकारी तथा नियमावली हेतु विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in का अवलोकन तथा ई प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> के निविदा क्रमांक **77220** से वांछित जानकारी/प्रपत्र डाऊनलोड **77224** कर सकते हैं।


आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

फाउण्डेशन प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2021-22

- योजना का उद्देश्य :-** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (यथा संशोधित वर्ष 2017) अंतर्गत फाउण्डेशन प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 09वीं एवं 10वीं के शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की परीक्षाओं यथा जेईई (मेंस/एडवांस), एम्स, नीट तथा पीईटी जैसी आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराए जाने की योजना है। जिसके फलस्वरूप इन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी आगे चलकर अखिल भारतीय संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं एवं 10वीं स्तर पर होने वाली परीक्षा जैसे गणित, विज्ञान, ओलिंपियाड, विज्ञान पहेली, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज इत्यादि परीक्षाओं में भी शामिल कराना है अतः इस हेतु आवश्यक तैयारी/कोचिंग का कार्य सम्पादित किया जाना है।
- योजना संचालन का मोड :-** योजना के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित शैक्षणिक एवं आवासीय अधोसंरचना एवं सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शैक्षणिक स्टाफ एवं स्टडी मटेरियल, मूल्यांकन आदि हेतु टेस्ट की व्यवस्था चयनित कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

विद्यालय का नाम जिसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित है :-

क्र	फाउण्डेशन प्रयास विद्यालय का नाम	वर्ष	कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या (परिवर्तनीय)	प्रस्ताव जहां जमा करना है उस कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	फाउण्डेशन प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर	2021-22 2021-22 2022-23	9वीं 10वीं 10वीं	125 125 125	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर
2.	फाउण्डेशन प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुडियारी रायपुर	2021-22 2021-22 2022-23	9वीं 10वीं 10वीं	125 125 125	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर

- निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि
- ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना
- पात्र पाई गई संस्थाओं का समिति के समक्ष तकनीकी मूल्यांकन

- 14/06/2021, अपराह्न 3.00 बजे
- 15/06/2021, अपराह्न 3.00 बजे
- पृथक से घोषित किया जायेगा

1. अनुबंध की अवधि :- 2 वर्ष। 2021-22 एवं 2022-23 तक।
2. कक्षा का आकार :- अधिकतम 45 विद्यार्थियों पर एक सेक्शन होगा।
3. अध्यापन की अवधि :- बोर्ड परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का अध्यापन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग तथा डाउट क्लास को मिलाकर प्रतिदिन न्यूनतम 8 घण्टे का अध्यापन कराना होगा।
4. उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों की अनिवार्य योग्यताएं :-
योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करना है, इस हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों (Teaching/ Coaching Faculty) की शैक्षणिक पृष्ठ भूमि उच्च स्तर की होनी चाहिए।

क्र	विषय	शिक्षकों की न्यूनतम संख्या	अनिवार्य योग्यता
1.	गणित	01	किसी भी शासकीय संस्था से बी.टेक/एम.टेक एवं संबंधित विषय में कोचिंग का 02 वर्ष का अनुभव
2.	भौतिक शास्त्र	01	किसी भी शासकीय संस्था से बी.टेक/एम.टेक एवं संबंधित विषय में कोचिंग का 02 वर्ष का अनुभव
3.	रसायन शास्त्र	01	किसी भी शासकीय संस्था से बी.टेक/एम.टेक/एम.एस.सी. एवं संबंधित विषय में कोचिंग का 02 वर्ष का अनुभव
4.	जीव विज्ञान (बायोलॉजी)	01	किसी भी शासकीय संस्था से एम.एस.सी./एम.बी.बी.एस. एवं संबंधित विषय में कोचिंग का 02 वर्ष का अनुभव
5.	हिन्दी	01	किसी भी शासकीय संस्था से हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं संबंधित विषय में कोचिंग का 02 वर्ष का अनुभव
6.	अंग्रेजी	01	किसी भी शासकीय संस्था से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं संबंधित विषय में कोचिंग का 02 वर्ष का अनुभव
7.	संस्कृत	01	किसी भी शासकीय संस्था से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं संबंधित विषय में कोचिंग का 02 वर्ष का अनुभव
8.	सामाजिक विज्ञान	02	किसी भी शासकीय संस्था से सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (जिसमें एक इतिहास में तथा दूसरा भूगोल विषय का हो) एवं संबंधित विषय में कोचिंग का 02 वर्ष का अनुभव
9.	मनोवैज्ञानिक/कैरियर काउंसलर	01	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक उपाधि। किसी संस्था/फर्म में कम से कम 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

उपरोक्तानुसार शिक्षकों की अनिवार्य योग्यता को शिथिल करने के संबंध में चयन समिति संक्षम होगी।

5. रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत आवेदन करने का तरीका :-

- इच्छुक कोचिंग संस्थाएँ आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता शर्तें, सुरक्षा निधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in तथा ई प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> से अवलोकन कर प्राप्त (Download) कर सकते हैं। आवेदन पत्र के शुल्क हेतु राशि रुपये 2000/- (शब्दों में दो हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करना होगा।
- इच्छुक कोचिंग संस्थाएं तीन बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। इच्छुक फर्म एक से अधिक संस्थाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें प्रत्येक संस्था के लिए अलग-अलग अमानत राशि ऑनलाईन जमा करना होगा।
- एक से अधिक प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक संस्था के लिए उल्लेखित योग्यता के शिक्षकों का पृथक-पृथक Panel प्रस्तुत करना होगा। शिक्षक/फैकल्टी मेम्बर को अध्यापन कार्य के लिए उपलब्ध कराने का दायित्व चयनित कोचिंग संस्था का होगा।
- आवेदन पत्र का भाग-एक, प्रथम लिफाफा (न्यूनतम अर्हता संबंधी योग्यता) निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	विवरण
1.	आवेदन करने वाली कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/भारत सरकार अथवा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) के तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
2.	संस्था का पेन (PAN) एवं टेन (TAN) तथा जीएसटी (GST) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। टीप:- पेन/टेन/जीएसटी नंबर संस्था के नाम से होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं।
3.	(I) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यों का प्रति वर्ष का टर्न ओवर 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओवर में संस्था/फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों वर्षों के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यों से संबंधित टर्न ओवर का पृथक-पृथक उल्लेख हो। (II) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यों के व्यवसाय का पिछले तीन वर्ष में जमा किये गये सर्विस टेक्स का विवरण। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
4.	सुरक्षा निधि के रूप में रु 2.00 लाख (शब्दों में दो लाख मात्र) का अमानत राशि ऑनलाईन जमा करना होगा।

- v. आवेदन पत्र का भाग-दो (तकनीकी प्रस्ताव का लिफाफा) इसके अंतर्गत भाग-दो-01 से भाग-दो-05 तक की जानकारी के साथ पृथक से लिफाफा क्रमांक-02 में रखकर सीलबंद किया जाना चाहिए।
- vi. आवेदन पत्र का भाग-तीन (वित्तीय प्रस्ताव) इसके अंतर्गत तीसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव (दर) का लिफाफा का प्रारूप संलग्न है। वित्तीय दर ऑनलाईन ही स्वीकार किया जायेगा। आफलाईन निविदा आमाम्य किया जावेगा।
इसके पश्चात् भाग-1 एवं भाग-2 के लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होंगे। आवेदक जिस संस्था हेतु आवेदन कर रहा है, लिफाफा के उपरी भाग पर उस संस्था का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म का सील और हस्ताक्षर होना चाहिए।
- vii. सर्वप्रथम सभी प्राप्त आवेदन पत्र का लिफाफा क्रमांक-01 अनिवार्य योग्यता संबंधी लिफाफा खोला जाएगा। इसके परीक्षण उपरांत पात्रता रखने वाले संस्थाओं का ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी योग्यता संबंधी) में पात्र पाए जाने वाले संस्थाओं का ही तृतीय लिफाफा (वित्तीय प्रस्ताव) ऑनलाईन खोला जाएगा। वित्तीय लिफाफा खोलने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। चयन समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पश्चात् अंतिम रूप से सफल फर्म को पृथक से सूचित किया जाएगा।
- viii. आवेदन खोलते समय आवेदक स्वयं अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।
6. प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन का तरीका :- प्राप्त प्रस्तावों का गुणवत्ता सहमूल्य आधारित प्रक्रिया (Quality Cum Cost Based System) के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इसके दो भाग होंगे :-

6.1 तकनीकी मूल्यांकन :- न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म/संस्था का ही तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा) खोला जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा।

(i) पहला :- संस्था/फर्म के अनुभव एवं कार्य की उपलब्धियों पर 60 अंक निर्धारित है जिसका मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आधार पर किया जायेगा -

क्र.	विवरण	निर्धारित अंक
1	संस्था की स्वयं का अधोसंरचना हो तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव के आधार पर	10
2	संस्था का विगत 3 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम (जेईई मेन/एडवांस/नीट/ पीईटी/ सीएसीएस/क्लेट इत्यादि में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों के आधार पर	20

3	शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण के अनुसार	10
4	अद्यतन अध्ययन सामग्री (hard/ soft copy) के आधार पर	10
5	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति के अनुसार	10

(ii) दूसरा :- शिक्षको का मूल्यांकन (शिक्षक डेमो)- प्रस्तुतीकरण पर 40 अंक दिया जायेगा। शिक्षको का मूल्यांकन निम्नलिखित मानको के आधार पर किया जायेगा -

क्र.	विवरण	निर्धारित अंक
1	शिक्षको के विषय ज्ञान एवं विषय की समझ	20
2	शिक्षण कौशल	10
3	विद्यार्थियों/विषय विशेषज्ञों द्वारा पूछे गये प्रश्नों/समस्या समाधान के तरीके	05
4	विद्यार्थियों/मूल्यांकन समिति से संवाद एवं समन्वय	05

कुल तकनीकी मूल्यांकन (ET)= (i) पहला + (ii) दूसरा = 100 अंक

(iii) तकनीकी मूल्यांकन द्वारा प्रस्तावों का लघुकृतिकरण - तकनीकी मूल्यांकन के 100 अंक में से न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले संस्थाओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा। उपरोक्तानुसार अर्ह संस्थाओं की संख्या 04 से कम संख्या होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं होगी।

6.2 वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन :- वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नांकित सूत्र पर आधारित होगा :-

$$EF = 100 \times FM/F$$

यहां पर EF का अर्थ होगा वित्तीय अंक, FM का अर्थ न्यूनतम मूल्य तथा F का अर्थ विचाराधीन प्रस्ताव में दर्शाये गये मूल्य से है।

6.3 प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण :- प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण तकनीकी अंक (ET) का 70 प्रतिशत अधिभार तथा वित्तीय अंक (EF) का 30 प्रतिशत अधिभार देते हुए दोनों का योग कर अंको के घटते क्रम अनुसार कोचिंग संस्थाओं की सूची तैयारी की जायेगी अर्थात् अंतिम श्रेणीकरण किया जायेगा। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली संस्थाओं को प्रथम स्थान पर चयन हेतु अनुशंसित किया जायेगा।

तकनीकी निविदा हेतु अन्य मानक तय करने/अधिभार में परिवर्तन करने के लिए आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सक्षम प्राधिकारी होंगे।

7. चयनित कोचिंग संस्था के दायित्व :-

- निर्धारित योग्यता के ही शिक्षक/फैकल्टी उपलब्ध कराना होगा अन्यथा चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- विद्यार्थियों एवं प्रशासकीय अधिकारी की फीड बैक में यदि विषय शिक्षक का अध्यापन शिक्षक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आयुक्त, आदिम

- जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के अनुमति से उसी योग्यता का शिक्षक एक सप्ताह में परिवर्तन करना होगा।
- iii. अध्यापन की न्यूनतम अवधि 8 घंटे होगी। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न अनुरूप अध्यापन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 2 घण्टे का डाउट क्लीयरिंग क्लास भी आयोजित करना होगा।
 - iv. विद्यार्थीवार प्रगति का विश्लेषण कर कार्ययोजना बनानी होगी एवं विद्यार्थीवार प्रगति का विवरण रखना अनिवार्य होगा।
 - v. विद्यालय के लिए नियुक्त शिक्षक/फैकल्टी किसी अन्य कोचिंग या निजी कोचिंग से संलग्न नहीं किये जाएंगे। शिक्षक विद्यालय के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेंगे।
 - vi. कोचिंग संस्था को साप्ताहिक टेस्ट, मासिक टेस्ट, त्रैमासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक टेस्ट तथा वार्षिक बोर्ड के बाद अंतिम परीक्षा तक कोचिंग प्रदान करना होगा।
 - vii. कोचिंग संस्था को विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट/प्रेक्टिस पेपर एवं ऑन-लाईन प्रीटिंग एवं अवलोकन टेस्ट लिया जा कर मूल्यांकन सुविधा उपलब्ध कराना होगा।
 - viii. शिक्षण तथा कोचिंग कार्य में नियोजित शिक्षकों को विद्यालय के गरिमा के अनुरूप अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार रखना होगा।
 - ix. विषय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्राप्त कानूनी अधिकार एवं हित का उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में विषय शिक्षक उपलब्ध कराने के पूर्व शिक्षक के संबंध में संपूर्ण जांच करने की जिम्मेदारी तथा इन तथ्यों से पूर्णतः अवगत कराने का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था की होगी।
 - x. कोचिंग संस्था द्वारा अध्यापन कराये जा रहे विद्यार्थियों का विभाग द्वारा बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा जिससे कोचिंग संस्था द्वारा की जा रही कोचिंग/अध्यापन की दक्षता का मूल्यांकन हो सके। इसके आधार पर किशतों के भुगतान करने का निर्णय प्रशासकीय अधिकारी/सहायक आयुक्त द्वारा लिया जा सकेगा।
 - xi. कोचिंग संस्था को प्रशासकीय अधिकारी/प्राचार्य के साथ मिलकर टाईम टेबल एवं कार्ययोजना बनाया जाकर पालन किया जाना होगा।
 - xii. कोचिंग संस्था को फैकल्टी के लिए विद्यालय के बाहर यथा संभव समीप में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना होगा।
 - xiii. अखिल भारतीय स्तर की कोचिंग के लिए प्रत्येक विषय में चैंपटर वाईस (कक्षा 9वीं एवं 10वीं) के विगत 10 वर्षों के प्रश्न-पत्रों (जैसे गणित, विज्ञान, ऑलमपीयाड, विज्ञान पहेली, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज इत्यादि) प्रवेश परीक्षाओं से प्रश्न निकालकर उसके आधार पर अंतिम परीक्षा पूर्व न्यूनतम 10 मॉक टेस्ट लेना अनिवार्य होगा। मॉक टेस्ट का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों के कमियों को दूर किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारी अवश्यक सुझाव भी दे सकेंगे।
 - xiv. कोचिंग संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाईन अध्यापन एवं कोचिंग देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

xv. प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की सत्यता का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था का होगा। इस हेतु ओरिजनल नोटराईज्ड शपथ पत्र संस्था द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. राशि का भुगतान :-

चयनित/अनुबंधित कोचिंग संस्था को स्वीकृत निविदा राशि का 80 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रवेशित सीट (अधिकतम 125) के आधार पर अनुबंध अनुसार विभिन्न किस्तों में किया जायेगा। किस्तों का भुगतान संस्था के प्राचार्य, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर की अनुसंधान के आधार पर कलेक्टर रायपुर के अनुमोदन पश्चात् किया जाएगा। जबकि अंतिम (शेष) 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

विभाग द्वारा अनुमोदित प्रति विद्यार्थी अध्यापन सह कोचिंग दर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शुल्क (सर्विस चार्ज) इत्यादि का भुगतान पृथक् से नहीं किया जाएगा। फर्म को नियमानुसार आयकर कटौती उपरांत किस्त की राशि देय होगी। अंतिम शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान निम्नांकित मानदंड के आधार पर किया जाएगा :-

- कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा अध्ययनरत समस्त छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, विज्ञान पहेली, गणित ओलंपियाड अथवा इसी स्तर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को शामिल कराने पर अंतिम (शेष) 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।
- कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों में से 95 प्रतिशत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, विज्ञान पहेली, गणित ओलंपियाड अथवा इसी स्तर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को शामिल कराने पर अंतिम (शेष) राशि में से 15 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।
- कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों में से 90 प्रतिशत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, विज्ञान पहेली, गणित ओलंपियाड अथवा इसी स्तर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को शामिल कराने पर अंतिम (शेष) राशि में से 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर परीक्षा परिणाम न आने की स्थिति में अंतिम (शेष) 20 प्रतिशत राशि देय नहीं होगी अर्थात् अंतिम (शेष) 20 प्रतिशत राशि कटौती योग्य होगी। राशि के भुगतान के संबंध में अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का भी पालन करना होगा।

9. कोचिंग संस्था का भुगतान :- मुख्य मंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु संशोधित नियमावली वर्ष 2017 द्वारा जारी दिनांक 19.01.2018 में उल्लेख अनुसार तथा प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में उल्लेखित शर्तों अनुसार होगा।

10. कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के संदर्भ में आवश्यकता अनुसार ऑनलाईन प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए पृथक से किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी।
11. प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" हेतु सलग्न आवेदन पत्र प्रारूप प्रथम लिफाफा भाग-1 द्वितीय लिफाफा भाग-2 (01 से 05), वित्तीय प्रस्ताव भाग-3 के अनुसार ही जानकारी प्रस्तुत करना होगा एवं उसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार होगा।



आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अद्वल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

फाउण्डेशन प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन पत्र

(रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक 371 दिनांक 19/09/21 के संदर्भ में)
भाग-एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित अभिलेख संलग्न किया जावे
1.	आवेदन करने वाली कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/भारत सरकार अथवा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) के तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	संस्था का पेन (PAN) एवं टेन (TAN) तथा जीएसटी (GST) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टैक्स में छूट प्रदान किया गया है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। टीप:- पेन/टेन/जीएसटी नंबर संस्था के नाम से होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं।	
3.	(I) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यों का प्रति वर्ष का टर्न ओवर 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओवर में संस्था/फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रक्रिया से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों वर्षों के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यों से संबंधित टर्न ओवर का पृथक-पृथक उल्लेख हो। (II) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यों के व्यवसाय का पिछले तीन वर्ष में जमा किये गये सर्विस टैक्स का विवरण। यदि टैक्स में छूट प्रदान किया गया है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	
4.	सुरक्षा निधि के रूप में रु 2.00 लाख (शब्दों में दो लाख मात्र) का अमानत राशि ऑनलाईन जमा करना होगा।	

भाग-दो-01

(संस्था का सामान्य परिचय-पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) पंजीकृत कोचिंग संस्था का नाम :
- (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) :
- (द) कोचिंग संस्था के संचालक का नाम एवं पता/मोबाईल नम्बर :
2. कोचिंग संस्था किस समिति/फर्म/कम्पनी के अंतर्गत संचालित है :-
(अ) समिति/फर्म/कम्पनी का नाम :
- (ब) समिति/फर्म/कम्पनी के कार्यालय का पूर्ण पता :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) तथा अधिकृत मोबाईल नम्बर :
- (द) फर्म द्वारा किन-किन स्थानों पर कोचिंग संस्थाएं का संचालन किया जा रहा है:
3. (अ) समिति/फर्म/कम्पनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है:
- (ब) समिति/फर्म/कम्पनी का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं बायलॉज की प्रमाणित प्रति :
- (स) समिति/फर्म/कम्पनी का वैद्यता दिनांक :
- (द) समिति/फर्म/कम्पनी के गर्वनमेन्ट बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक :
- (इ) समिति/फर्म/कम्पनी के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक :
- (प) समिति/फर्म/कम्पनी के गर्वनिंग बॉडी के अध्यक्ष, :
4. क्या कोचिंग संस्था फ्रेन्चायजी है? यदि हां तो मूल कोचिंग संस्था का फ्रेन्चायजी अधिकार पत्र एवं अनुबंध आदि अभिलेख प्रस्तुत किया जावे एवं फ्रेन्चायजी संस्था अपना आडिट रिपोर्ट/पैन/टैन प्रस्तुत करेगा।

कोचिंग संस्था के फैकल्टी, जिनके द्वारा फाउण्डेशन प्रयास विद्यालय में अध्यापन कार्य किया जाएगा

1. (अ) फैंकल्टी का विवरण :- सभी का बायोडाटा संलग्न होना चाहिए।

[illegible]

(ब) कोचिंग संस्था द्वारा फाउण्डेशन प्रयास विद्यालय में दिए जाने वाले गैर शिक्षकीय अमले तथा अन्य स्टॉफ जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर/कार्यालय सहायक की जानकारी :-

1. _____
2. _____
3. _____

(स) प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम :-

1. इन्चार्ज का नाम : _____
2. शैक्षणिक अर्हता : _____
3. अनुभव : _____

भाग-दो-03

कोचिंग संस्था के सफलता की जानकारी

- राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि का विवरण (पिछले 03 वर्षों की जानकारी दी जावे।)

क्र.	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या				अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या				सफलता का प्रतिशत
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
1	जे.ई.ई. मेन									
2	जे.ई.ई. एडवांस									
3	ए.आई. पी.एम.टी. / नीट									
4	एम्स									
5	सीए / सीपीटी / सीएस / सीएमए									
6	एनटीएससी									
7	विज्ञान पहेली									
8	ओलंपियाड									
9	अन्य परीक्षाएं									

टीप :- प्रत्येक परीक्षावार अंतिम चयनित विद्यार्थियों का नाम, रोल नम्बर, मोबाईल नंबर सहित प्रमाणित सूची संलग्न किया जावे।

- राज्य स्तरीय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि का विवरण :-

क्र.	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या				अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या				सफलता का प्रतिशत
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
1	पी.ई.टी.									
2	पी.एम.टी.									
3	बी.ए.एम.एस.									
4	वेटनरी									
5	फिजियोथेरेपी									
6	एग्रीकल्चर									
7	अन्य									

भाग-दो-04
योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति

इसके अंतर्गत निम्नांकित प्रस्तुत की जावे :-

1. अध्यापन की रणनीति (कालखंडों की संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम की प्राथमिकता, शैक्षणिक कलेण्डर, इकाई मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी आदि जो आवश्यक हो)।
2. उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री की एक प्रति।
3. उत्कृष्ट शिक्षकों को पूरे वर्ष नियोजित करने की योजना।
4. राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु मल्टीमिडिया की व्यवस्था।

भाग-दो-05
घोषणा/सहमति पत्र
संस्था/फर्म/कम्पनी संचालक की घोषणा

मैंपदकोचिंग संस्था की ओर से प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने वर्ष 2021-22 के लिए प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत समस्त शर्तों एवं प्रावधानों का अध्ययन कर, समझकर एवं संतुष्ट होकर प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर हेतु आवेदन किया है। आवेदन पत्र के 'भाग-एक', भाग-दो(1-5) तथा भाग- तीन में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। प्रस्ताव में दी गई जानकारी भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा तथा विधिक कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रयास संचालन नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो वह मुझे मान्य होगा। विभाग द्वारा अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध की शर्तों का पालन किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर/मोहर
सहित

फाउण्डेशन प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2021-22

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक 371 दिनांक 18/05/21 के संदर्भ में)
वित्तीय प्रस्ताव - भाग-तीन

1. फाउण्डेशन प्रयास संस्था का नाम
(जहां के लिए आवेदन किया जा रहा है) :-

क्र.	कार्य का नाम	दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह (समस्त कर, जीएसटी सहित) अंको एवं शब्दों में दर्शाया जाए
1.	कक्षा 9वीं एवं 10वीं के वार्षिक/बोर्ड परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु अध्यापन सह-कोचिंग, 02 सत्र (2021-22 कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं) एवं (2022-23 कक्षा 10वीं) अधिकतम 30 जून 2023 तक	

उपरोक्त दर समस्त कर, जीएसटी सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूं।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

टीप:-

1. यह वित्तीय प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावे।
2. कोई भी काट-छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा काट-छांट होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जायेगा।
3. शिक्षण सत्र 2021-22 एवं 2022-23 हेतु प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर के विद्यार्थियों को अध्यापन एवं कोचिंग कराये गये माहों के आधार पर ही प्रति विद्यार्थी राशि देय होगी।